न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-407RAAJodhpur2022-251RTA225 Bhanwarsingh ors Vs Arjunsingh etc

01. भंवर सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
02. नरपत सिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
निवासीगण- ग्राम चैनसिंह नगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री पुंजराजसिंह
2. जुगतसिंह पुत्र श्री पुंजराजसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र श्री पुंजराजसिंह
4. मनोहरसिंह पुत्र विशन सिंह
5. मग सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह
6. पप्पु सिंह पुत्र सतीदान सिंह
7. डूंगर सिंह पुत्र चैन सिंह
जातियान् राजपुरोहित निवासीगण चैनसिंह नगर नाथड़ाउ, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
8. कल्याण सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, जाति राजपुरोहित
9. भंवर कंवर पुत्री पदमसिंह जाति पुरोहित
निवासीगण- चैन सिंह नगर।
10. पारूदेवी पत्नी पुरखाराम, जाति मेघवाल, निवासी- मेजलनगर,
11. नगाराम पुत्र श्री बिड़दाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी- पीलवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
12. गुड्डी देवी पत्नी जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासी- मेजलनगर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री संजय चाण्डक, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4, 6, 7, 10 व 12
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 18 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 297 रकबा 126.14 बीघा, खसरा नं. 298 रकबा 5.16 बीघा, खसरा नं. 300 रकबा 9.14 बीघा, खसरा नं. 295 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 296 रकबा 0.14 बीघा एवं खसरा नं. 299 रकबा 0.10 बीघा ग्राम चैनसिंह तहसील बालेसर में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो संख्या आठ से बारह/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 301 रकबा 30.00 बीघा, खसरा नं. 301/1 रकबा 73 बीघा एवं खसरा नं. 301/2 रकबा 5.00 बीघा में से रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

18.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 01 सितंबर 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक से सात का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध है, जिसका जिक्र मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है। अपीलांट्स के खातेदारी खेत में सें किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है। वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता जो वर्तमान में चालू है तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण का निस्तारण करते समय वैकल्पिक रास्ते के बिंदु को कतई नजर अंदाज नहीं किया जा सकता एवं वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या एक से सात को कोई रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 292 में सें रास्ते का निकटम एवं लघुतम उपलब्ध है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटम रास्ता है जो विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट एवं न्यायालय हाजा द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 292 में से रास्ते बाबत उज्र न तो विचारण

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में उठाया गया है और न ही अपनी अपील में। अपीलांट्स द्वारा नाडी में सें बताये गये विकल्प के रास्त में नाडी में पानी भर जाने से रास्ता संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो इस आधार पर तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 10.05.2022 एवं न्यायालय हाजा द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 14.10.2022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 297, 297, 300, 295, 296 एवं 299 में आवागमन हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 301 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया है, जिसकी दूरी 162 मीटर बतायी गई है।

अपीलांट द्वारा खसरा नं. 292 में सें निकटम रास्ते का विकल्प होने का कथन किया गया है। उक्त विकल्प के बारे विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द एवं अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अपने जवाब एवं अपील स्तर कई पर जिक्र नहीं किया गया है। खसरा नं. 292 की किस्म गैर मुमकिन नाडी जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से उसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2019 अर्जुनसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर